जीसीएमएस नं. 2026/20

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 02/2026

1. राज्य सरकार जरिये पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनीष गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी अम्बे मिष्ठान भंडार, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. श्री अम्बे मिष्ठान भंडार, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2.9 किलोग्राम गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी मनीष गांधी, अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 15.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग के विरूद्ध विशेष अभियान(16 फरवरी से 27 फरवरी) श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं आपुर्ति विभाग, जयपुर के आदेश कमांक एफ 65()खा.वि./एलपीजी/2026/राजकाज नंबर 20500951 दिनांक 12.02.2026 व जिला कलक्टर महोदया के आदेश दिनांक 16.02.2026 की पालना में श्रीगंगानगर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मन पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 17.02.2026 को पुरानी आबादी में स्थित अंबे मिष्ठान भंडार पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर मनीष गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी अम्बे मिष्ठान भंडार, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वंय को उक्त होटल का मालिक बताया। मनीष गांधी की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया गया कि होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त होटल पर 2 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री मनीष गांधी** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री मनीष गांधी** के उक्त होटल में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.9 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री अजय कुमार पुत्र श्री राधाकृष्ण, कार्यकर्ता गंगानगर इंडेन गैस सर्विस, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री मनीष गांधी** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मय 2.9 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री मनीष गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश के** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.9 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पर पुलिस थाना पुरानी आवदी, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी मनीष गांधी को मूल कॉपी देकर स्वयं से तामील करवाई गई व तारीख पेशी पर हाजिर आने के लिए पाबन्द किया। अप्रार्थी स्वयं द्वारा तामील होने के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि **मनीष गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.9 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 17.02.2026 को पुरानी आबादी में स्थित अंबे मिष्ठान भंडार पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर मनीष गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी अम्बे मिष्ठान भंडार, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वंय को उक्त होटल का मालिक बताया। मनीष गांधी की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया गया कि होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त होटल पर 2 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री मनीष गांधी** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री मनीष गांधी** के उक्त होटल में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.9 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री अजय कुमार पुत्र श्री राधाकृष्ण, कार्यकर्ता गंगानगर इंडेन गैस सर्विस, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मनीष गांधी द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.9 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री मनीष गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश के** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 2.9 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर